

## राजस्थान अल्पसंख्यक नागरिकता शिविर

### चर्चा में क्यों?

राजस्थान सरकार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए [अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के लिये](#) विशेष शिविर आयोजित करने जा रही है।

### मुख्य बंदि

- अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए [अल्पसंख्यक शरणार्थियों](#) को भारतीय नागरिकता देने के नयिम तथा प्रक्रियाएँ सरल कर दी गई हैं। अब ज़िला कलेक्टरों को नागरिकता प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है।
- सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2016 से 2024 तक राज्य में **2,329 लोगों को नागरिकता प्रदान की गई है।**
- वर्तमान में कुल **1,566 आवेदन लंबति हैं।** इनमें से 300 मामलों में आसूचना ब्यूरो (इंटेल्जिंस ब्यूरो) की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

### नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019

- [नागरिकता \(संशोधन\) अधिनियम, 2019](#) का उद्देश्य [नागरिकता अधिनियम, 1955](#) में संशोधन करना है।
- नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment ACT- CAA) पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से **31 दसिंबर, 2014** को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले छह गैर-मुसलमि समुदायों (हंदू, सखि, बौद्ध, जैन, पारसी एवं ईसाई) को धरम के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है।
- यह वधियक **छह समुदायों** के सदस्यों को [वदिशी अधिनियम, 1946](#) और [पासपोर्ट अधिनियम, 1920](#) के तहत कसिी भी आपराधकि मामले से छूट देता है।
  - दोनों अधिनियमों में देश में अवैध रूप से प्रवेश करने तथा समाप्त हो चुके वीज़ा और परमटि पर यहाँ रहने के लयि दंड का प्रावधान कयिा गया है।